<u>दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड : नई दिल्ली</u>

(कार्मिक प्रभाग)

औद्योगिक संबंध समूह

****

30th दिसम्बर, 2016

<u>परिपत्र संख्या. आईआर/35/2016</u>

विषय: <u>भारत के राष्ट्रगान से संबंधित आदेश</u>

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 855 के तहत दिनांक 30.11.2016 को भारत के राष्ट्रगान के संबंध में आदेश जारी किए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

i. इसका वित्तीय फायदा अथवा किसी प्रकार का लाभ देने के लिए किसी प्रकार का व्यावसायिक दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। स्पष्टतः, राष्ट्रगान का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्ति का किसी प्रकार का व्यावसायिक लाभ अथवा अन्य किसी प्रकार का लाभ हो।

ii. राष्ट्रगान का नाट्य रूपांतर नहीं किया जाएगा और इसे किसी वैरायटी शो के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जाता है अथवा बजाया जाता है तो वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह इसे यथोचित आदर और सम्मान दे। राष्ट्रगान के नाट्य रूपांतर प्रदर्शन के बारे में सोचना भी पूर्णरूपेण कल्पनातीत है।

iii. राष्ट्रगान अथवा इसके किसी भाग को किसी वस्तु पर छापा नहीं जाएगा और उसे कभी भी ऐसे स्थान पर इस प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा जो इसकी मर्यादा के लिए असम्मानजनक और असम्मान के समतुल्य हो। यह इसलिए, क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो इससे संबद्ध प्रोटोकॉल की संकल्पना राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय अखंडता और संवैधानिक देशभक्ति की भावना में अंतर्निहित है।

iv. भारत में स्थित सभी सिनेमाहॉल फीचर फिल्म प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगान बजाएँगे और हाल में उपस्थित सभी व्यक्ति राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए खड़ा होने के लिए बाध्य हैं।

v. सिनेमाहॉल में पर्दे पर राष्ट्रगान बजाए जाने अथवा गाए जाने से पहले प्रवेश और निकास दवार बंद रहेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अशांति न फैला सके जो राष्ट्रगान के प्रति असम्मानजनक स्वरूप होगा। राष्ट्रगान के बजाए जाने अथवा गाए जाने के पश्चात दवार खोले जा सकते हैं।

vi. जब सिनेमाहालों में राष्ट्रगान बजाया जाएगा तो पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देता रहेगा।

vii. किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से बनाया गया राष्ट्रगान का लघु रूप न तो बजाया जाएगा और न ही प्रदर्शित किया जाएगा।

2. भारत के राष्ट्रगान के संबंध में उपर्युक्त आदेश का कार्पोरेशन के सभी कर्मचारियों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

30/12/16
(समित महापात्र)
महाप्रबंधक (कार्मिक)

-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
-सभी निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
-सभी मुख्य महाप्रबंधक
-सभी प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक
-उप महाप्रबंधक (ले.एवं स्था.)
<u>-सूचना-पटट / वेबसाइट</u>

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI

(PERSONNEL DIVISION)

IR GROUP

******

December 30th, 2016

CIRCULAR NO: IR/35/2016

Subject: Orders relating to the National Anthem of India

The Hon'ble Supreme Court of India has issued Orders relating to the National Anthem of India dated 30.11.2016, delivered in the Writ Petition (Civil) No. 855 of 2016 as under:

i. There shall be no commercial exploitation to give financial advantage or any kind of benefit. To elaborate, the National Anthem should not be utilized by which the person involved with it directly or indirectly shall have any commercial benefit or any other benefit.

ii. There shall be no dramatization of the National Anthem and it should not be included as a part of any variety show. It is because when the national Anthem is sung or played, it is imperative on the part of every one present to the show due respect and honour. To think of a dramatized exhibition of the National Anthem is absolutely inconceivable.

iii. National Anthem or part of it shall not be printed on any object and also never be displayed in such a manner at such places which may be disgraceful to its status and tantamount to disrespect. It is because when the National Anthem is sung, the concept of protocol associated with it has its inherent roots in National identity, National integrity and Constitutional Patriotism.

iv. All the cinema halls in India shall play the National Anthem before the feature film starts and all present in the hall are obliged to stand up to show respect to the National Anthem.

v. Prior to the National Anthem is played or sung in the cinema hall on the screen, the entry and exit doors shall remain closed so that no one can create any kind of disturbance which will amount to disrespect to the National Anthem. After the National Anthem is played or sung, the doors can be opened.

vi. When the National Anthem shall be played in Cinema Hall, it shall be with the National Flag on the screen.

vii. The abridged version of the National Anthem made by any one for whatever reason shall not be played or displayed.

2. The above orders on the National Anthem of India are for strict compliance by all the employees of the Corporation.

3. This issues with the approval of the Competent Authority.

30/12/16

(Samit Mohapatra)
General Manager (Pers)

-Exe. Secy. to CMD
-Exe. Secys. to Director/CVO
-All CGMs
-All divisional Heads/All BMs
-DGM(A&E)
-Notice Board/Website